राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :— 333/2025

दिलीप सिंह **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, कृषि शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, कृषि ग्रुप—ा, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 29.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री हरीश जांगिड़, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में संयुक्त निदेशक कृषि(विस्तार) जिला परिषद्, बांसवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—4) के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से संयुक्त निदेशक कृषि(विस्तार) जिला परिषद्, डूंगरपुरमें किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जो नियम—8(iii) राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) एवं नियम 2011 के प्रावधानों के विरूद्ध जाते हुए जारी किया। उनका कथन है कि एक

जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण किए जानेसे पूर्व पंचायतीराज विभाग की सहमति प्राप्त नहीं की गई है।

3. अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान सरकार शासन उप सचिव कृषि एवं पंचायतीराज (कृषि) विभाग द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में स्थानांतरण आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित होने के पश्चात् ही पारित किया जाना प्रकट होता है। अतः हम इस अपील कोई बल होना पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)